राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र / 2021 / 1398 दिनांकः– 10/03/2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा आवासीय योजना, जयपुर में स्ववित्त पोषित योजना वर्ष–2012 (द्वितीय) के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग–ब हेतु पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु पंजीकरण योजना खोली गयी। योजना की पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार फ्लेटों की अनुमानित लागत रू. 29.60 लाख रखी गयी। उक्त योजना में निर्मित किये गये फ्लेटों की वास्तविक लागत राशि रू. 35,30,800/– निर्धारित की गयी। जिसके अनुसार उक्त योजना में सफल आवेदकों को आवंटित फ्लेटों के आवंटन पत्र जारी किये गये। जिनमें से 6 आवेदकों द्वारा अनुमानित लागत से अधिक लागत आने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायीय पीठ, जयपुर में एकल सिविल रिट याचिकाऐं दायर कर दी गयी। उक्त योजना के अधिशेष फ्लेटों को छूट के साथ ई–बिड–सबमिशन/बुधवार नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जा रहे है। फ्लेट संख्या 8/एम.बी./बी–2/602 के आवेदक श्री अनिरूद्ध अग्रवाल द्वारा खुली नीलामी में 50 प्रतिशत छूट का हवाला देते हुए उक्त फ्लेटों में दी जा रही 50 प्रतिशत छूट के अनुसार मण्डल आवंटन करता है तो न्यायालय प्रकरण वापस लेने का प्रस्ताव दिया गया।

श्री अनिरूद्ध अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने वाले 6 आवेदकों को उक्त योजना की पंजीकरण पुस्तिका में दर्शायी गयी अनुमानित लागत रू. 29.60 लाख में आवंटन करने का निर्णय वाद वापस लेने की शर्त के अध्याधीन लिया गया।

मण्डल के संचालक मण्डल की 245 वीं बैठक दिनांक 16–02–2021 में उक्त निर्णय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव संख्या 245.13 रखा गया। बैठक में प्रस्तावानुसार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने वाले आवंटियों को योजना की पंजीकरण पुस्तिका में दर्शायी गयी अनुमानित लागत राशि रू. 29.60 लाख रू. में आवंटित करने हेतु लिये गये निर्णय की स्वीकृति प्रदान की गयी। माननीय उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने वाले 6 आवेदकों को योजना की पंजीकरण पुस्तिका में दी गयी अनुमानित लागत पर फ्लेट आवंटित करने हेतु लिये गये निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

आवासन आयुक्त

D/DRB/OFFICE ORDER

(21)

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर/जोधपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत–........................ राजस्थान आवासन मण्डल, ...
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–................................., रा0आ0म0, ...
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

D/DRB/OFFICE ORDER